

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी : श्री ओ०पी० चन्देलिया

प्रकरण सं० : 29/2024

अनवान :

मनीष पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी डाबडी तहसील भादरा।

:- वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र बेगराज जाति जाट निवासी डाबडी तहसील भादरा।
2. सुनीता पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी डाबडी तहसील भादरा।
3. अनिता पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी डाबडी तहसील भादरा।
4. गीता पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी डाबडी तहसील भादरा।
5. कविता पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी डाबडी तहसील भादरा।
6. रेखा पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी डाबडी तहसील भादरा।
7. नीलम पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी डाबडी तहसील भादरा।
8. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।
9. इन्द्रो देवी पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी डाबडी तहसील भादरा।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र शर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री जयकिशन गोदारा व श्री राधेश्याम की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा डाबडी के खाता सं० 19/217 के ख०सं० 165 की 4.0080 है० खसरा संख्या 234/1 की 0.0250 है० कुल 4.0330 है० बारानी में प्रतिवादी संख्या 1 ओमप्रकाश के नाम 5/14 हिस्सा एवं रोही मौजा डाबडी के खाता संख्या 18/106 के खसरा संख्या 403 की 0.8220 है०, खसरा संख्या 406 की 1.5560 है०, खसरा संख्या 408 की 2.7320 है०, खसरा संख्या 412/704 की 0.4300 है० कुल 5.5400 है० बारानी में प्रतिवादी संख्या 1 ओमप्रकाश के नाम 1543/5540 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उपरोक्त दोनों खातों में से प्रतिवादी सं० 1 ओमप्रकाश का नाम कलमजन कर वादी मनीष को खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं० 1 ता 7, 9 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। उक्त दर्ज वादभूमि यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ~~26-07-24~~ को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(ओमप्रकाश चन्देलिया)RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़